

सं.11014/7/2021-हिन्दी/ ५२३

भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

केन्द्रीय जल आयोग

कक्ष संख्या 300, नवीन पुस्तकालय भवन,

आर.के.पुरम, नई दिल्ली-110066

दिनांक: ०५ अप्रैल, 2024

कार्यालय जापन

**विषय:** राजभाषा हिन्दी से संबंधित आदेशों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निर्धारित जांच बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहना है कि राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार, सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का उत्तरदायित्व है कि वह यह सुनिश्चित करे कि राजभाषा अधिनियम और नियमों के उपबंधों और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस बारे में जारी किए गए निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन हो रहा है। उसकी यह भी जिम्मेदारी है कि वह इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच के वास्ते उपाय करे। इस संबंध में केन्द्रीय जल आयोग में प्रभावी जांच बिन्दु स्थापित किए गए हैं। अतः आयोग तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के सभी कार्यालय प्रधान/प्रशासनिक प्रमुख निम्नलिखित जांच बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें:-

क्र.सं.	राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण मर्दं	अनुपालन का दायित्व
1.	धारा 3(3) का अनुपालन:- धारा 3(3) के अन्तर्गत आने वाले सभी कागजात-सामान्य आदेश*, अधिसूचनाएं, संकल्प, अधिनियम, अधिनियम के अन्तर्गत बनने वाले नियम, प्रेस विज्ञप्तियां, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन, संविदा, करार, अनुज्ञापन, अनुज्ञाप्तियां, निविदा सूचना, निविदा प्रारूप, नोटिस, संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा अन्य कागजात अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में एक साथ जारी किए जाएं।	दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी।
2.	नियम-5- हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिए हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी जाएं।	
3.	केंद्र सरकार के 'क' व 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों से शत-प्रतिशत पत्राचार हिन्दी में ही किया जाए।	हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी
4.	केंद्र सरकार के 'क' व 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों से अंग्रेजी में हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी प्राप्त पत्रों के उत्तर अधिकांशतः हिन्दी में दिए जाएं।	हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी
5.	अनुभागों में प्रयोग किए जाने वाले सभी फार्म, कोड, मैनुअल द्विभाषी रूप में मुद्रित करवाए जाएं।	सभी अनुभागों/निदेशालयों के शाखा/अनुभाग अधिकारी, डब्ल्यूएसई निटे./क्षेत्रीय कार्यालय
6.	सभी फाइलों के शीर्षक हिन्दी और अंग्रेजी में लिखे जाएं और सेवा पुस्तिकाओं/रजिस्टरों में प्रविष्टियां हिन्दी में ही की क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख जाएं।	सभी अवर सचिव/अनुभाग अधिकारी/क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख

7.	** 'क' व 'ख' क्षेत्रों को भेजे जाने वाले लिफाफों पर पते हिन्दी सभी अनुभाग/निदेशालय, आवती एवं निर्गम अनुभाग के अधिकारी एवं संबंधित कर्मचारी इस पर निगरानी रखें।
8.	जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान सभी प्रशासनिक प्रमुख/ संबंधित नहीं है उन्हें हिन्दी/हिन्दी टंकण/हिन्दी आशुलिपि का अधिकारी, के.ज.आ. (मु.) एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण कराया जाए।
9.	सभी रबड़ की मोहरें, नामपट, पत्रशीर्ष, लिफाफों पर उत्कीर्ण लेख तथा लेखन सामग्री की अन्य मद्दें तथा रजिस्टरों के/ एसडीओ/ स्टेशनरी / सभी शाखा/ प्रारूप व शीर्षक द्विभाषी रूप में बनवाए व मुद्रित करवाए अनुभाग अधिकारी / सभी क्षेत्रीय जाएं। (हिन्दी ऊपर, अंग्रेजी नीचे होनी चाहिए। मोहर में कार्यालय / संबंधित अधिकारी। हिन्दी और अंग्रेजी के अक्षर बराबर हों)।
10.	सभी कम्प्यूटरों पर यूनीकोड डिकोडिंग की सुविधायुक्त हिन्दी साफ्टवेयर (मंगल फॉट) उपलब्ध कराए जाएं। निदेशक, एसएमडी/ सभी क्षेत्रीय कार्यालय/ संबंधित अधिकारी।
11.	प्रशिक्षण सामग्री हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार कराई जाए और प्रशिक्षणर्थियों की मांग के अनुसार हिन्दी/अंग्रेजी में उन्हें उपलब्ध कराई जाए। मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय जल अकादमी/ निदेशक (प्रशिक्षण)
12.	अधिकांश प्रशिक्षण कार्यक्रमों का माध्यम हिन्दी हो। मुख्य अभियंता, राष्ट्रीय जल अकादमी/ निदेशक (प्रशिक्षण)
13.	प्रक्रिया संबंधी सभी साहित्य हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी (डिगलॉट) रूप में यथास्थिति मुद्रित और प्रकाशित किए जाएं। निदेशक, पीसीपी/तकनीकी प्रलेखन, कनिष्ठ अभियंता (स्टेशनरी अनुभाग)/ क्षेत्रीय कार्यालय
14.	अंग्रेजी में तैयार तकनीकी रिपोर्ट में भूमिका/प्रस्तावना, प्राककथन अनिवार्यतः हिन्दी में तैयार कराए जाएं। निदेशक, तकनीकी प्रलेखन/ उप निदेशक, डब्ल्यूएसई निद./सभी संबंधित अधिकारी
15.	के.ज.आ.(मु.) की वेबसाइट पूर्णतः द्विभाषी रूप में तैयार की जाए। निदेशक, एसएमडी

\*सामान्य आदेश की परिभाषा:- स्थायी प्रकार के सभी आदेश, निर्णय, अनुदेश, परिपत्र जो विभागीय प्रयोग के लिए हों तथा ऐसे सभी आदेश, पत्र, जापन, नोटिस, परिपत्र आदि, जो सरकारी कर्मचारियों के समूह अथवा समूहों के संबंध में या उनके लिए हो, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अधीन 'सामान्य आदेश' कहलाते हैं।


\*\* क क्षेत्र: बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, संघ राज्य क्षेत्र।

ख क्षेत्र : गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन व दीव और दादरा व नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

ग क्षेत्र : 'क' और 'ख' क्षेत्रों में शामिल न किए गए अन्य सभी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपर्युक्त जांच बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करवाया जाए और इस संबंध में की गई कार्रवाई से उप निदेशक (रा.भा.) हिन्दी अनुभाग, केंद्रीय जल आयोग (मु.) को अवगत कराया जाए।

प्रति:-



(पदमा दोष्ट)  
मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.)

1. सभी मुख्य अभियंता (मु0), के.ज.आ।
2. सभी मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग। कृपया उपरोक्त जांच बिंदु के आधार पर अपने-अपने कार्यालय में अलग से जांच बिंदु जारी करें।
3. सचिव, केन्द्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
4. सभी निदेशक/शाखा अधिकारी/अवर सचिव/लेखा अधिकारी/अनुभाग अधिकारी/ निदेशालय/ अनुभाग, केन्द्रीय जल आयोग।
5. सभी अधीक्षण अभियंता/निदेशक/अधिशासी अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय जल आयोग।

**प्रतिलिपि सूचनार्थ:-**

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
2. सदस्य, अभि. एवं अनु./जल आयो. एवं परि./नदी प्रबंध के निजी सचिव।
3. निदेशक (रा.भा.), जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली।
4. निदेशक (समन्वय.), अभि0 एवं अनु0/जल आयो0 एवं परि0/नदी प्रबंध अपनी सभी इकाइयों/अनुभागों के संजान में लाएं।